भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4276
उत्तर देने की तारीख 26 मार्च, 2025

लद्दाख में मोबाइल कनेक्टिविटी

4276. श्री मोहम्मद हनीफ़ाः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख के दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं और इन पहलों को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा तय की गयी है;
(ख) क्या सरकार ने 4जी और 5जी कनेक्टिविटी की उपलब्धता और गुणवत्ता के संबंध में कोई सूचकांक तैयार किया है;
(ग) यदि हां, तो संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में और अधिक डिजिटल एवं दूरसंचार अवसंरचना स्थापित करने की योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) वर्तमान में संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख में कितनी ग्राम पंचायतों/गांवों में विश्वसनीय मोबाइल नेटवर्क कवरेज की कमी है और इस अंतर को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) से (ड.) लद्दाख के 243 गांवों (भारत के महारजिस्ट्रार के आंकड़ों के अनुसार) में से 234 गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध है।

सेवा से वंचित बसे हुए गांवों के लिए मोबाइल कवरेज दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा उनकी तकनीकी-व्यावसायिक व्यवहार्यता के आधार पर उपलब्ध कराया जाता है। सरकार लद्दाख सहित देश के ग्रामीण, जनजातीय और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में 4जी मोबाइल टावरों की संस्थापना के माध्यम से दूरसंचार कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) के तहत विभिन्न स्कीमों को कार्यान्वित कर रही है। फरवरी 2025 की स्थिति के अनुसार डीबीएन द्वारा वित्तपोषित मोबाइल स्कीमों के तहत लद्दाख में 136 टावर चालू किए जा चुके हैं जिससे 169 गांवों को 4जी मोबाइल कवरेज मिल रहा है।

भारतनेट परियोजना को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है ताकि सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) को वाई-फाई हॉटस्पॉट, फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) कनेक्शन आदि जैसी ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जा सके। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रिंग टोपोलॉजी में देश के सभी ग्राम पंचायतों को कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को मंजूरी दी जिसमें मौजूदा नेटवर्क का उन्नयन करना और लगभग 3.8 लाख गैर-ग्राम पंचायती गांवों को मांग के आधार पर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना शामिल है।

बेसिक, मोबाइल और ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) सुनिश्चित करने हेतु ट्राई ने "एक्सेस (वायरलाइन और वायरलेस) तथा ब्रॉडबैंड (वायरलाइन और वायरलेस) सेवा की सेवा गुणवत्ता के मानक विनियम, 2024" निर्धारित किए हैं। इन विनियमों में नेटवर्क से संबंधित और उपभोक्ता सेवा से संबंधित मापदंडों के लिए क्यूओएस मापदंड और बेंचमार्क निर्धारित किए गए हैं। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सेवा की गुणवत्ता के मापदंड ट्राई द्वारा निर्धारित बेंचमार्कों के अनुरूप हों।

******